

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-17/2019-927 दिनांक : 25.09.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ कोडरमा वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ गोड्डा वन प्रमण्डल/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण, अवकृष्ट वनों का पुनर्वास एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधा का रोपण का अग्रिम कार्य हेतु कुल **रु0 487.864 लाख (चार करोड़ सतासी लाख छियासी हजार चार सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0ब0-28/2019-08/स्वी0 व0प0 दिनांक 18.06.2019 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-28/2019-62/आ0 व0प0 दिनांक 28.06.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 487.864 लाख (चार करोड़ सतासी लाख छियासी हजार चार सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	352.111
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	135.753
कुल :-		487.864

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (घ) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (ग), स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601789580103, 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगा तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक

16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।


14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


विश्वासभाजन,


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-17/2019-927 दिनांक-25.09.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ हजारीबाग/ दुमका/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ गढ़वा/ चतरा/ हजारीबाग/ दुमका/ जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-17/2019-927 दिनांक-25.09.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/ गढ़वा/ चतरा/ कोडरमा/ देवघर/ गढ़वा/ हजारीबाग/ गोड्डा/ जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1 (क)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : ₹0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			42184.38	15921.74	58106.12
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	130.00	54.840	20.698	75.538
2	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
3	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	150.00	63.276	23.883	87.159
5	कोडरमा वन प्रमण्डल	30.00	12.655	4.777	17.432
6	सा०वा० प्रमण्डल, देवघर	50.00	21.092	7.961	29.053
7	सा०वा० प्रमण्डल, गढ़वा	100.00	42.184	15.922	58.106
योग :-		560.00	236.231	89.163	325.394

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे०) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : ₹0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)


क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			36385.54	14332.74	50718.28
i	ii	iii	iv	v	vi
1	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	100.00	36.385	14.333	50.718
2	सा०वा० प्रमण्डल, देवघर	50.00	18.193	7.166	25.359
3	सा०वा० प्रमण्डल, गढ़वा	100.00	36.386	14.332	50.718
योग :-		250.00	90.964	35.831	126.795

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे०) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : ₹0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			41527.03	17932.74	59459.77
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गोड्डा वन प्रमण्डल	10.00	4.153	1.793	5.946
2	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	50.00	20.763	8.966	29.729
योग :-		60.00	24.916	10.759	35.675
सकल योग :-		870.00	352.111	135.753	487.864


प्रधान-मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची


वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

मजदूरी दर : 249.83 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	वित्तीय वर्ष 2019-20 खगिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 249.83						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3.00	749.49	0.00	749.49	
2	झाड़ी सफाई			0.00	0.00	0.00	
2.1	सामान्य झाड़ी	हे०	7.00	1748.81	0.00	1748.81	
3	घेरान कार्य -			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन प्रति हे०	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हे० अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	36.50	9118.80	0.00	9118.80	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	4122.20	0.00	4122.20	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर द्यूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	3989.00	3989.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंदूर ट्रेंचिंग- 90, कंदूर ट्रेंच साईज 5 मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मी० से 3मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी कर रखा जाना	हे०	55.00	13740.65	0.00	13740.65	
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य			9706.48	0.00	9706.48	
	योग-		130.00	42184.38	15921.74	58106.12	


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची


वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 249.83 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. अथवा 2 मी. X 2 मी. अथवा 3 मी. X 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरण	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	तासरी (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
वित्तीय वर्ष 2019-20 अनुसूचित कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 249.83							
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	749.49	0.00	749.49	
2.1	सामान्य झाड़ी	हे०	7	1748.81		1748.81	
2.2	कटबक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे०	10	2498.30		2498.30	
3	घेरान कार्य			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चैन प्रति हे०	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हे० अनुमानिक 6 चैन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आयंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी० X 0.3 मी.) 0.027 क्यू०मी० 1000 पीट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	22	5496.26		5496.26	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंदूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे०	45	11242.35		11242.35	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	10	2498.30		2498.30	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर ट्यूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०		0.00	2400.00	2400.00	
8	विविध कार्य (छायांकन,साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हे०		9154.07	0.00	9154.07	
योग :-			109.00	36385.54	14332.74	50718.28	


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची


वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी० X 2 मी०

मजदूरी दर : 249.83 प्रति मानव दिवस


क्र० सं०	कार्य, विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभिवृत्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
वित्तीय वर्ष 2019-20 अधिसूचित कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 249.83							
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	749.49	0.00	749.49	
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	1748.81		1748.81	
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आर्टिम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चैन पति हे०	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हे० अनुमानिक 6 चैन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 2500 पीट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	55	13740.65	0.00	13740.65	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे०	10	2498.30		2498.30	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	हे०	25	6245.75		6245.75	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर द्यूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०		0.00	6000.00	6000.00	
8	विविध कार्य (छायांकन,साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हे०		13546.07	0.00	13546.07	
योग :-			112.00	41527.03	17932.74	59459.77	


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जलियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०) का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रमण्डल	स्थल का नाम	धाना एवं धाना संख्या	जीपीएस को-ऑर्डिनेट्स	प्लॉट नं०	कुल रकबा (हे०)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	डालटनगंज वनरोपण	चैनपुर	टेमराई	चैनपुर-134	N 23° 59'37" E 084° 01'15"	108, 179, 318, 322, 3, 44, 342, 344, 345, 323, 346, 347	50
		पाटन वनरोपण	छत्तरपुर	ओकराहा	छत्तरपुर-272	N 23° 18'429" E 084° 07'085"	1, 14, 7, 13, 153, 171, 222	50
		चैनपुर	रामगढ़	काचन	चैनपुर-86	N 23° 54'07" E 83° 58'21"	428, 660	30
योग :-								
2	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	भवनाथपुर	बरडीहा	जिकाबुचकम	भवनाथपुर-102	N 24° 21'21.97" E 83° 42'12.90"	9, 10, 11, 12	50
योग :-								
3	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	रंका पूर्वी	रंका	चुतरु	रंका-38	N 23° 52'-35" E 83° 39'-03"	1 to 4, 369, 770. 775, 778 to 782, 795 to 807	50
योग :-								
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	टण्डवा	टण्डवा	पदमपुर	टण्डवा-01		267, 856, 857, 868, 869, 870, 871	50
		सिमरिया वनरोपण	सिमरिया	एदला	सिमरिया-164		61, 62, 117, 118, 119, 120	50
		लावालोंग	ईटखोरी	करमा	ईटखोरी-252		734P, 735P, 749, 750P, 751, 794, 1118P, 1120P	50
योग :-								
5	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	डोमचांच	मरकच्यो	खेशमी	कोडरमा-105	N 24° 92.927 E 85° 78.707	4	30
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								
योग :-								

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	ग्राम	स्थल का नाम	शाना एवं शाना संख्या	जी०पी०ए०एस० को-ऑर्डिनेट्स	प्लॉट नं०	कुल रकबा (हे०)
6	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	सा०वा० प्रक्षेत्र, सारठ	सारठ	पथरड्डा	सारठ-21	N 24° 16'57" E 86° 44'53"	1	25
		सा०वा० प्रक्षेत्र, मधुपुर	मधुपुर	भलपहड़ी सलैया	मधुपुर-200 मधुपुर-201	N 24° 21.199" E 86° 37.258"	181P, 200P, 201P, 7P, 21P, 36P, 63P	25
योग - 50								
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	सा०वा० प्रक्षेत्र, नगर	भवनाथपुर	मकरी-1	भवनाथपुर-17	N 24° 21.037 E 83° 33.311	2178	50
		सा०वा० प्रक्षेत्र, गढ़वा	गढ़वा	तुलबुला	गढ़वा-428	N 23° 58.38" E 83° 50.38"	62, 145, 120, 146, 165, 75, 147	50
योग - 100								
सकल योग - 560								


 प्रधान मुख् वी संरक्षक, विकास,
 शारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जलियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे०) का अभिन्न कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड	स्थल का नाम	थाना एवं थाना संख्या	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट्स	प्लॉट न०	कुल रकबा (हे०)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	हजारीबाग वनरोपण चौपारण वन प्रक्षेत्र	करेडारी	करेडारी	बड़कार्गाँव-24	N 23° 51'46.59" E 86° 06'32.21"	597	45
			चौपारण	असनाबुआं	चौपारण-19	N 24° 25'39.09" E 85° 16'31.02"	10, 32P	55
योग :-								
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	सा०वा० प्रक्षेत्र, देवघर	देवघर	कोकरीबांक	देवघर-115	N 24° 30'.469" E 86° 36.572"	1	25
				कोडाडीह	देवघर-28	N 24° 31'.268" E 86° 36.313"	130	25
योग :-								
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	सा०वा० प्रक्षेत्र, नगर	नगर चँटासी	कोल्हुआ	गढ़वा-113	N 24° 14.458 E 83° 30.986	558, 559, 563, 562, 564	50
		सा०वा० प्रक्षेत्र, छत्तरपुर	नावा बाजार	तूरीदाग	विश्रामपुर-151	N 24° 14.511 E 84° 06.369	14, 1	50
योग :-								
सकल योग								
								100
								250

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
इंजीनियरिंग, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे०) का अभिगम कार्य का स्थल विवरणी ।

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड	स्थल का नाम	थाना एवं थाना संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकबा (हे०)
1	गोडा वन प्रमंडल, गोडा	गोडा वन प्रक्षेत्र	सुन्दरपहाड़ी	महुआडांड	सुन्दरपहाड़ी-8	1302 पार्स	10
योग							
2	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	मानगो		मुकरुडीह	पटमदा-389/132	188, 189, 190, 451, 549	50
योग							
सकल योग							
							60

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
इक्षारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

वार्षिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यवहृत निम्नलिखित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/927

दिनांक - 25-Sep-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवस्थापक पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	61598	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR, OREST.DIV.	5,484,000.00 रुपये चौपन लाख चौरासी हजार
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	61600	GRHFWL001 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O.-NORTH DIV. GARHWA	2,109,200.00 रुपये इक्कीस लाख नौ हजार दो सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	61601	GRHFWL004 AVIROOP SINHA D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	2,109,200.00 रुपये इक्कीस लाख नौ हजार दो सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

9,702,400.00

क्रमिक योग:

रुपये सित्तानवे लाख दो हजार चार सौ

(SRI VIKAS SINGH GAUR IFS)

CCOP.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भले 03 - मजदूरी State Scheme	61604	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	6,327,600.00 रुपये तीरसठ लाख सत्ताइस हजार सः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भले 03 - मजदूरी State Scheme	61605	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D. R. KODERMA	1,265,500.00 रुपये बारह लाख पैंसठ हजार पॉंच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भले 03 - मजदूरी State Scheme	61607	DGRFORE87 JITENDRA PRASAD D.F.O. S.F.DIV.. DGR	3,928,500.00 रुपये उनवालीस लाख अठाइस हजार पॉंच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

11,521,600.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड बारह लाख चौइस हजार

21,224,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCOF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	61608	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	7,857,000.00 रुपये अठहत्तर लाख सत्तावन हजार
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	61609	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA DFO, HAZARIBAG WEST DIV, HZB	3,638,500.00 रुपये छत्तीस लाख अठतीस हजार पंच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
9	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	61610	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	415,300.00 रुपये चार लाख पंद्रह हजार तीन सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

11,910,800.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड इकतीस लाख चौतीस हजार आठ सौ

33,134,800.00

(SRI VIKRAM SHUBH GAUR IFS)

CCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - भ्रजदूरी State Scheme	61612	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	2,076,300.00 रुपये बीस लाख छहत्तर हजार तीन सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
11	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	61630	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. FOREST.DIV.	2,069,800.00 रुपये बीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
12	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	61631	GRHFWL001 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	796,100.00 रुपये सात लाख छयानवे हजार एक सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

4,942,200.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड अस्सी लाख सित्योत्तर हजार

38,077,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF,DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	61632	GRHFWL004 AVIROOP SINHA D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	796,100.00 रुपये सात लाख छयानवे हजार एक सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
14	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	61634	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	477,700.00 रुपये चार लाख सित्योत्तर हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
15	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	61636	DGRFORE87 JITENDRA PRASAD D.F.O. S.F.DIV.. DGR	1,512,700.00 रुपये पंद्रह लाख बारह हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

2,786,500.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड आठ लाख तीरसठ हजार पाँच सौ

40,863,500.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

CCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	61637	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	3,025,400.00 रुपये तीस लाख पच्चीस हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
17	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	61639	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA DFO, HAZARIBAG WEST DIV, HZB	1,433,300.00 रुपये चौदह लाख तैतीस हजार तीन सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
18	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	61640	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	179,300.00 रुपये एक लाख उन्नासी हजार तीन सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

4,638,000.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड पचपन लाख एक हजार पाँच सौ

45,501,500.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF, DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	61643	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	896,600.00 रुपये आठ लाख छयानवे हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
20	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	61646	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHANDRA	2,388,300.00 रुपये तेइस लाख अठ्यासी हजार तीन सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

3,284,900.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड सित्यासी लाख छियासी हजार चार सौ

48,786,400.00

(SRI KALIN KINKER JINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI